न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बामणिया तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 116 / 2015

अनवान

श्री सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण निवासी लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
.... वादी

बनाम

1– राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी

दिनांक – 06.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके लाम्बा पटवार हल्का क्षैत्र बामणिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 41 के आराजी संख्या 219, 635, 669 / 2, 759, 767, 782 कुल किता 06 कुल रकबा 09–08 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम घीसुलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा0 देह खातेदार के बजाय सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

डिकी आज दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बामणिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बामणिया तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 116/2015

अनवान

श्री सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण निवासी लाम्बा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... वादी

बनाम

1– राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके लाम्बा पटवार हल्का क्षैत्र बामणिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 41 के आराजी संख्या 219, 635, 669/2, 759, 767, 782 कुल किता 06 कुल रकबा 09–08 बीघा भूमि मांगीलाल पिता गंगाराम ब्राहमण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, मांगीलाल पिता गंगाराम ब्राहमण की मृत्युपरान्त खुले नामान्तकरण में वादी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण के स्थान पर घीसु पिता मांगीलाल ब्राहमण दर्ज कर दिया गया, जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में वादी उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादी का नाम सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण के स्थान पर घीसुलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 08.03.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बामणिया में प्राप्त किया जाकर पंजीबद्ध किया कर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित होकर वादपत्र में ईकबालिया जवाब मय भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे रिकार्ड लिया गया । केम्प के दौरान ही दिनांक 06.06.2017 को वादी व मौतबिरान भंवरलाल पिता नन्दलाल पारीक निवासी लाम्बा के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादी का नाम सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण है। लिहाजा वादी का वाद पत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

—::आदेश::—

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके लाम्बा पटवार हल्का क्षैत्र बामणिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 41 के आराजी संख्या 219, 635, 669/2, 759, 767, 782 कुल किता 06 कुल रकबा 09—08 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम घीसुलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा0 देह खातेदार के बजाय सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राहमण सा0 देह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बामणिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)